वाहनों की संख्या में वृद्धि

2221. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत एक दशक के दौरान इस वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वाहनों की संख्या के साथ-साथ दुर्घटनाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो 1980 के दशक के पहले और अन्तिम वर्ष में दुर्घटनाओं का वार्षिक औसत कितना था;

(ङ) क्या इस प्रकार बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कोई उपाय किए हैं; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी हां।

(ख) 1980 में 45,21,00 वाहन पंजीकृत हुए थे जबकि 1989 में कुल 1,69,19,000 (अनुमानित) वाहन पंजीकृत हुए।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1980 और 1989 में क्रमशः 1,53,227 और 2,67,648 दुर्घटनाएं हुई।

(ङ) जी, हां।

(च) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

किए गए / किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने के संबंध में सख्त अपेक्षाओं और अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।
2. परिवहन वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए ड्राइविंग स्कूल में औपचारिक प्रशिक्षण को एक पूर्वापेक्षी बनाया गया है।
3. हल्के वाणिज्यिक वाहनों सहित ट्रकों के लिए अधिकतम सुरक्षित लदान भार निर्धारित किया गया है।
4. हल्के मोटर वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमाएं निर्धारित की गई हैं।
5. देश भर में वाहनों की फिटनेश की जांच करने के लिए एक समान अंतराल निर्धारित किया गया है।
6. यह निर्धारित किया गया है कि वाहनों में सड़क सुरक्षा उपस्कर लगाए जाएंगे अर्थात् वाहनों के लिए ब्लिंकर प्रणाली सहित दिशा संकेतक, खतरनाक या जोखिम वाले माल की ढुलाई करते समय विशेष लेबल लगाए जाएंगे।
7. सड़क सुरक्षा उपाय करने के लिए एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा परिषदों का गठन करें।
8. अंधाधुंध और लापरवाही से वाहन चलाने, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, खराब हैड लाइटों, ओवर स्पीडिंग, ओवर लोडिंग आदि के विरुद्ध नियमित रूप से विशेष अभियान चलाना।
9. उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नोटिस जारी करके नियमित अभियोजन।
10. दिल्ली यातायात पुलिस के सड़क सैल द्वारा स्कूलों में स्कूली बच्चों को सड़कों के नियमों और संबंधित सुरक्षा पहलुओं के बारे में नियमित रूप से आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है।
11. दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में ब्लिंकर/संकेत लगाना।
12. राडार गनों द्वारा "प्रासीक्यूशन"।
13. दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में अधिक पुलिस तैनात करना।
14. प्रातःकालीन विशेष अभियान और रात्रि मोबाइल गश्त।
15. सड़क सुरक्षा के संबंध में व्यापक प्रचार करने के लिए दूरदर्शन/आकाशवाणी, प्रेस का उपयोग।
16. बस बाक्सेज और येलो-बाक्सेज की पेंटिंग।
17. राजमार्गों पर विशेष रात्रि चेकिंग।
18. बसों, भारी परिवहन वाहनों, टी० एस० आर०, टैक्सियों आदि के विरुद्ध विशेष अभियान।

19. सड़क सुरक्षा कक्ष द्वारा सभी विभिन्न सड़क प्रयोक्ताओं और बच्चों में सड़क सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए पेंटिंग प्रतियोगिताएं और अन्य सड़क सुरक्षा कार्यकलाप आयोजित किए जा रहे हैं।

Motels and Hotels on National Highways

2222. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a congestion on the National Highway at the way side motels in between Vijayawada and Guntur; and

(b) if so, what steps Government have taken to avoid mushroom growth of such way side hotels/motels.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No motels exist along N.H. 5 from Vijayawada (Km 434.15) upto end of Guntur Bypass (Km 396.80) which runs outside Guntur Town. However, there are a few eating establishments in this section located outside the National Highway right-of-way. No specific instances of congestion on the National Highway have been reported due to these establishments.

(b) Does not arise.

Modernisation of Ports

2223. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the PHD Chamber of Commerce and Industry has urged Government to immediately undertake an extensive modernisation programme for development of Ports for creating adequate capacity to cope with the requirements of shippers;

(b) if so, what is Government's reaction thereto;

(c) whether it is a fact that due to inadequate modernisation and development of port facilities, the ports have remained ill equipped to serve the needs of shippers and exporters; and

(d) if so, the steps Government propose to take to modernise and develop various ports in the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No proposal has been received in this Ministry.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Modernisation is a continuous process.

The capacity of the ports which has 20 Million tonnes in 1951 has increased to 168 million tonnes in 1991-92. The requirements of Indian Shippers and Exporters have not met.

In the 8th Plan, the Government proposes to further improve the functioning of the Ports by concentrating on:

1. Development of infrastructure in ports in consonance with the overall economic growth;
2. Increasing level of containerisation in the country;
3. Deepening of ports for handling the bigger sized ships in ore handling ports;
4. Mechanisation of loading/unloading facilities; and
5. Improving productivity in labour and equipments.

Calcutta-Madras National Highway Number-5

2224. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the total outlay approved by Government during the Eighth Five Year Plan period for development of four lanes on the Cuttack-Bhubaneshwar section of the Calcutta-Madras National Highway Number-5;

(b) the amount already sacntioned and spent so far on that project; and

(c) by when the work for providing four lanes on that Highway is likely to be completed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) Since the VIII